

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: कोरोना/2020/347

दिनांक: 28/3/20

समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वा० अधिकारी,
राजस्थान।

विषय : COVID-19 रोगियों का उपचार चिन्हित मेडिकल कॉलेज में कराने बाबत।

उपरोक्त विषय मे लेख है कि COVID-19 के संक्रमण के वर्तमान प्रसार स्थिति एवं चिकित्सकों/स्टॉफ की अधिक आवश्यकता स्कनिंग आदि कार्य में होने के मद्देनजर निर्देशित किया जाता है कि COVID-19 रोगियों का उपचार निम्नानुसार सम्बन्धित जिले उन्हे आवंटित मेडिकल कॉलेज में भेज कर करायेगें।

1. एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर – जयपुर, अलवर, सीकर, झुन्झुनु, दौसा, अजमेर, नागौर, टोंक, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर।
2. डॉ० एस.एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर – जोधपुर, पाली, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही।
3. आरएनटी मेडिकल कॉलेज, उदयपुर – उदयपुर, राजसमन्द, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़।
4. एमजीएम मेडिकल कॉलेज भीलवाड़ा – भीलवाड़ा।
5. एस.पी. मेडिकल कॉलेज, बीकानेर – बीकानेर, चुरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर।
6. न्यू मेडिकल कॉलेज, कोटा – कोटा, झालावाड़, बून्दी, बांरा।

Mrs 28/03/2020

अतिरिक्त मुख्य सचिव,
चिकित्सा स्वा० एवं प० क० विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

क्रमांक: कोरोना/2020/347

दिनांक: 28/3/20

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वा० विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प०क० विभाग, राजस्थान।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
5. निदेशक (जन स्वास्थ्य), मुख्यालय।
6. निदेशक, परिवार कल्याण/आरसीएच, मुख्यालय।
7. अतिरिक्त निदेशक (ग्रा० स्वा०), मुख्यालय।
8. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कॉलेज, समस्त।
9. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वा० सेवायें, जोन-समस्त।
10. संबंधित नोडल ऑफिसर, मुख्यालय।
11. अधीक्षक/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय, सैटेलाईट/जिला/उपजिला चिकित्सालय, समस्त।
12. प्रभारी सर्वर रूम को वास्ते संबंधित को ई-मेल व वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
13. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा०)
चिकित्सा एवं स्वा० सेवायें,
राजस्थान, जयपुर